प्रकरण क्रमांकः—4243/2023 म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र झांसी रोड विरूद्ध राहुल जोशी

24.01.2025 राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त राहुल जोशी अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारंट तामील/अदम तामील वापस प्राप्त नहीं।

अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 03.08.2023 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अभियुक्त अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक 03.08.2023 से अनुपस्थित है, अभियुक्त के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारंट भी वापस प्राप्त नही हो रहे है। प्रकरण वर्ष 2023 से लंबित है। ऐसी दशा में प्रकट होता है कि अभियुक्त जानबूझकर वारंट निर्वाह से बच रहा है अथवा निर्वाहकर्ता अभिकरण उसे ढूंढने में असफल है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है।

अतः अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्त के विरूद्ध **स्थाई गिरफतारी वारंट** जारी किया जावे।

वारंट में टीप अंकित की जावे कि अभियुक्त, अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक से अनुपस्थित है और यह प्रकरण आरक्षी केंद्र झांसी रोड क्षेत्र के अधीन उद्भूत हुआ है।

वारंट में न्यायालय का वारंट क्रमांक अंकित किया जावे।

संबंधित आरक्षी केंद्र से स्थाई वारंट पंजी आहूत कर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से पंजी में वारंट की प्रविष्टी कराकर आदेशपत्रिका में आमद क्रमांक अंकित किया जावे। संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से आदेश पत्रिका में पावती ली जावे और उसके हस्ताक्षर सहित नाम व पदनाम अंकित कराया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर विहितसमय अवधि में अभिलेख, **मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अभिलेख सुरक्षित रखने की टीप के साथ** अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

मीनाक्षी रावत
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला ग्वालियर म0प्र0

MEENAKSHI RAWAT

Digitally signed by MEENAKSHI RAWAT
Date: 2025.01.24 17:26:26 +0530